फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जग्गाराम पिता जवानाराम सालवी, निवासी बासडाई लाखागुड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द —अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़

— प्रत्यर्थी

क़िस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 57/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.12.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/851—52 दिनांक 04.12.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2019 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 13.09. 2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी भू—अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा व तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांक. प.1( )सू0 अ0,05/2019/664—666 दिनांक 13.09.2019 को प्रेषित गया। प्रार्थी/अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के संबंध प्रभारी अधिकारी, भू—अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा जरिये पत्रांक प.14( ) भू0अ0,/19/3438—3441 दिनांक 23.09.2019 से तहसीलदार देवगढ को इस आशय का पत्र जारी किया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम टोकरा व ग्राम सांगावास तहसील देवगढ़ की सम्वत 2001 से 2003 तक जमाबन्दी खाता खेवट की प्रमाणित फोटो कोपी चाही गई है। उक्त रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से आपके कार्यालय में उपलब्ध हो तो प्रार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करावें। साथ ही प्रभारी अधिकारी भू—अभिलेख अनुभाग कलक्ट्रेट उदयपुर को भी प्रासंगिक पत्र की प्रति प्रेषित की गई है प्रार्थी/अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के संबंध तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक उपदे/सूचना/2019/84—85 दिनांक 19.09.2019 से प्रार्थी श्री जग्गाराम सालवी को इस आशय का पत्र जारी किया गया कि ग्राम टोकरा पटवार मण्डल जीरण व मौजा ग्राम शक्करगढ पटवार मण्डल मियाला, सांगावास तहसील देवगढ की सम्वत 2001 से 2003 तक जमाबन्दी की नकल की प्रमाणित प्रति चाही गई है। उक्त सम्वत की जमाबन्दी का रिकार्ड सम्वत 2001 से 2003 तक	-

इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से जमाबन्दी की नकल दिया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही प्रार्थी को उक्त सूचना के संबंध में पत्र जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित किया गया एवं प्रार्थी उक्त बताई गई जानकारी से संतुष्ठ नहीं हो तो पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में कार्यालय दिवस में व्यक्तिशः उपस्थित होकर कार्यालय के अभिलेख का अवलोकन कर अपनी संतुष्टि कर सकते है। प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित सूचना इस प्राधिकरण के पास उपलब्ध नही हैं। जिसकी सूचना प्रार्थी को पृथक–पृथक दोनो ही कार्यालय से सूचित किया जा चुका हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट पत्रांक उपदे/सूचना/2019/119–20 दिनांक 20.12.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार ऑफिस कानूनगो कार्यालय हाजा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछीत सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। चुंकि तहसील देवगढ़ का सेटलमेन्ट संवत् 2008 में किया गया है। इससे पूर्व का किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित सूचना इस प्राधिकरण के पास उपलब्ध नही होने तथा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)